जयपुर अप्रैल 23, 1977

संख्या टैक्स एफ.....एल..... राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 88 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद द्वारा सलंग्न नगर परिषद, अजमेर (होटल, रेस्टोरेंट, बैकरी, मिठाई, पान आदि दुकानों के नियंत्रण व नियमन विषयक) के नियम, 1977 जो कि नगर परिषद अजमेर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 के खण्ड बी के उप खण्ड (।।।) व (।) के अन्तर्गत बनाये है की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की उप–धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (।।।) व (।) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद् अजमेर सिटी एतद्द्वारा निम्नलिखित उपनियम बनाती है–

परिषद् अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेंट, बैकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानो के नियंत्रण नियमन विषयक) उपविधियां, 1977 कहलायेंगें।

(1) संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रभावः– (1) ये उप–विधियां नगरपालिका अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपविधियां, 1977 कहलायेंगें।

(2) ये उप–विधियां नगरपालिका द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्थान राज–पत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से एक माह पश्चात् प्रभावशील होगी।

(2) परिभाषाऐंः– जब तक अर्थ मे असंगतता अथवा भाव में विपरीतता न आती हो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थः–

(1) **''अध्यक्ष''** से तात्पर्य मण्डल के अध्यक्ष से है तथा प्रशासक उसमें सम्मलित है।

(2) **''अधिनियम''** से तात्पर्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) से है।

(3) **''अधिशासी अधिकारी''** से तात्पर्य मण्डल के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) **''अनुज्ञाकारी''** से तात्पर्य अनुज्ञा–पत्र के धारक से है।

(5) **''अनुज्ञापत्र''** से तात्पर्य इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रदान किये गये या किये जाने वाले अनुज्ञापत्र से है।

(6) **''अनुज्ञा प्राधिकारी''** से तात्पर्य उपविधि मे निर्दिष्ट अधिकारी से है।

(7) **''नगरपालिका''** से तात्पर्य नगरपालिका अजमेर से है।

(8) **''मण्डल** से तात्पर्य नगरपालिका के मण्डल से है एवम् नगरपालिका व्यवस्था मे प्रशासक सम्मिलित है।

(9) **"प्रपत्र"** से तात्पर्य इन उपविधियों के साथ सलंग्न प्रपत्र से है।

(10) **"स्वामी"** से अभिकर्ता सेवक प्रबन्धक अधिशासी अथवा काबिज सम्मिलित है।

(11) **"होटल"** से तात्पर्य उस स्थान अथवा उन स्थानो से है जहा यात्रियों के लिये भोजन पेय या अल्पाहार सहित या रहित ठहरने की व्यवस्था हो तथा उसके सराय, मुसाफिरखाना,धर्मशाला, विश्रामशाला लोजिंग हाऊस या अन्य किसी प्रकार के भवन सम्मिलित है।

(12) **"रेस्टोरेंट"** (अल्पाहार गृह) से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां भोजन पेयअल्पाहार, आईसक्रीम, आईसकेण्डी (कुल्फी) या बर्फ तैयार की जाती है या विक्रयार्थ रखी जाती है तथा उसमें चाय, रस आदि गैस युक्त पेय पदार्थो की दुकाने, ढाबो, भोजनालय विदेशी आईस आदि सम्मिलित है।

(13) **"बेकरी"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से जहां से बिस्कुट, केक, डबल रोटी, क्रीम रोल, ब्रेड, टोस्ट, पेस्ट्री व अन्य इसी प्रकार के पदार्थ तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है।

(14) **"मिठाई की दुकान"** से तात्पर्य उस भवन या भवन के भाग से है जहां किसी प्रकार की मिठाई, नमकीन, चाट, पुड़ी, साग, सब्जी, पताशा, मिश्री बूरा व अन्य इसी प्रकार के पदार्थ

तैयार किये जाते है अथवा विक्रयार्थ रखे जाते है। इसमें चाय नमकीन की दुकान भी सम्मलित है।

(15) **"पान की दुकान"** से तात्पर्य उस भवन अथवा भवन के भाग से है जहां पान, बीड़ी, सिगरेट आदि तैयार किये जाते है या विक्रयार्थ रखे जाते है।

(16) **"खोमचे वाले"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो खोमचे या साईकिल ठेले मे फेरी लगाकर मिठाई, नमकीन, चाट, बीड़ी, सिगरेट आदि पदार्थ विक्रय रखता है।

(3) बिना अनुज्ञा–पत्र के होटल आदि चलाये जाने पर प्रतिबन्धः– कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में मण्डल से पूर्व अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान को होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान की दुकान आदि के रूप में प्रयुक्त नहीं करेगा और न ही ऐसे स्थानों पर एतत् प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का कोई उत्पादन करेगा।

(4) अनुज्ञा प्राधिकारी की नियुक्तिः– इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ अधिशासी अधिकारी अनुज्ञा प्राधिकारी होगा।

(5) अनुज्ञा–पत्र के लिये प्रार्थना–पत्रः– (1) कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के रूप में किसी स्थान को प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है वह प्रपत्र मे जो नगरपालिका से 50 पैसे मूल्य पर प्राप्त होगा, प्रार्थना–पत्र अनुज्ञाधिकारी को प्रस्तुत करेगा अनुज्ञार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तावित स्थान का दोहरा मानचित्र तथा होटल रेस्टोरेंट के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान को व्यवस्था को स्पष्टता प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत करेगा। (2) खण्ड (1) से प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपको इस बात के लिये आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थल अपेक्षित वाणिज्य के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त तथा उससे किसी प्रकार की जन असुविधा जन उत्पीड़न अथवा जन अनुवास नहीं होगा।

(2) खण्ड (1) मे प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेगा तथा अपने आपको इस बात के लिये आश्वस्त करेगा कि प्रस्तावित स्थल अपेक्षित वाणिज्य के प्रयोजनार्थ प्रत्येक प्रकार से उपयुक्त है तथा उससे किसी प्रकार की जन असुविधा, जन उत्पीड़न अथवा जन अनुवास नही होगा।

(3) खण्ड (2) में अनुज्ञा प्राधिकारी के आश्वस्त हो जाने पर वह अनुज्ञार्थी की निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश देगा तथा अनुज्ञार्थी द्वारा ऐसा निर्धारित शुल्क जमा करा दिये जाने पर प्रपत्र 2 में अनुज्ञा–पत्र जारी करेगा।

(4) अनुज्ञा प्राधिकारी खण्ड (1) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने तथा खण्ड (2) के अनुसार स्थल निरीक्षण के पश्चात् अनुज्ञा–पत्र जारी किये जाने के लिये अनुज्ञार्थी को सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट समयावधि में अनुज्ञार्थी द्वारा दोष दूर नहीं किये जाते तो प्रार्थना–पत्र अस्वीकृत समझा जावेगा।

(5) अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरणः– (1) इन उपविधियों के अधीन निर्गमित प्रत्येक अनुज्ञा–पत्र की अवधि 1 अप्रेल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिये होगी।

(2) 1 अक्टूबर के पश्चात् प्राप्त किये जाने वाले अनुज्ञा–पत्र का शुल्क आधा होगा तथा 1 जनवरी के पश्चात् प्राप्त किये जाने वाले अनुज्ञा–पत्र का शुल्क चौथाई होगा।

(6) अनुज्ञा–पत्र की अवधि :– (1) प्रत्येक वर्ष अनुज्ञा–पत्र का निर्दिष्ट शुल्क जमा कराये जाने पर इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा। बशर्ते अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण किये जाने में अनुज्ञा प्राधिकारी की किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो। अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण किये जाने से किसी प्रकार की आपत्ति किये जाने पर अनुज्ञाधारी को लिखित में कारण अंकित करते हुये तदनुसार सूचित किया जावेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा–पत्र की अवधि समाप्त होने पर 15 अप्रेल तक इसका नवीनीकरण करा सकेगा। इसके पश्चात् 25 पैसे प्रति दिवस की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(7) अस्थाई अनुज्ञा–पत्र :– (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी विशेष अवसर पर किसी स्थान को होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के रूप में प्रयुक्त करने की अपेक्षा करता है वह तत्प्रयोजनार्थ अस्थाई अनुज्ञा–पत्र जिसकी अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी प्राप्त कर सकेगा।

(2) खण्ड (1) में निर्गमित किये जाने वाले अस्थाई अनुज्ञा–पत्र का शुल्क निर्धारित शुल्क का 1/6 भाग होगा।

(8) अनुज्ञा–पत्र अहस्तान्तरणीय होगा :– (1) इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किया गया कोई भी अनुज्ञा–पत्र जिस स्थान व व्यक्ति के लिये अथवा जिस कार्य के लिये स्वीकार किया जावेगा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता तथा अनुज्ञा–पत्र अहस्तान्तरणीय होगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञाधारी अनुज्ञा–पत्र को अपने वाणिज्यिक भवन पर कांच के फ्रेम में मंढाकर सहगोचर स्थान पर प्रदर्शित करेगा।

(9) अनुज्ञा–पत्र का निलम्बन या निरस्तीकरणः– (1) कोई भी अनुज्ञा–पत्र जन सुरक्षा अथवा जन स्वास्थ्य के आधार पर अथवा अनुज्ञाधारी द्वारा इन अपविधियों में प्राबंधित प्रतिबंध व शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निलम्बन या निरस्त किया जा सकेगा।

(2) खण्ड (1) में अनुज्ञा–पत्र के निरस्तीकरण करने से पूर्व अनुज्ञाधारी को एतदर्य कारण बताने का न्यायोचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

(3) खण्ड (1) में अनुज्ञा–पत्र का निलम्बन व निरस्तीकरण किये जाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी को इन उपविधियों के अन्तर्गत अभियोजित भी किया जा सकेगा।

(10) अनुज्ञा–पत्र शुल्कः– (1) अनुज्ञा–पत्र का शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :–

(1) होटल :–	
(अ) जहां यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक व्यवस्था नहीं हों	50)
(ब) जहां यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक व्यवस्था हो ।	100)
(2) (अ) रेस्टोरेंट	40)
(ब) केवल चाय की दुकान	12)
(स) केवल बर्फ, सोड़ा, लेमन, शरबत आदि उत्पादन व विक्रय की दुकान	6)
(3) बेकरी	12)
(4) मिठाई की दुकान	12)
(5) पान की दुकान	6)
(6) खोमचे	3)

(2) खण्ड (1) में देय शुल्क प्रत्येक अवस्था में अग्रिम रूप में लिया जावेगा।

(3) नगरपालिका कोष में अनुज्ञा–पत्र शुल्क जमा होने पर किसी भी अवस्था में वापिस नहीं किया जावेगा।

(4) ऐसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिर खाना जो पूर्णतः निःशुल्क आवास व्यवस्था प्रदान करते है खण्ड (1) में प्रावधित शुल्क से मुक्त होंगें।

(11) अनुज्ञा–पत्र की सामान्य शर्ते :– इन उपविधियों के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञा–पत्र निम्नलिखित सामान्य शर्तो के अधीन स्वीकार किया जावेगाः–

(1) जिस स्थान के लिये अनुज्ञा–पत्र दिया जाना प्रस्तावित हो वह अपेक्षित व्यापार के लिये अपयुक्त और पर्याप्त रूप से विस्तीर्ण होगा।

(2) अनुज्ञापत्रित स्थान पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त व संवातित होगा।

(3) धुंआ निकलने के लिये अनुज्ञाधिकारी द्वारा चिमनी की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि जहां यात्रियों को भोजन या पेय पदार्थ परोसे जाये वहां पर धुंआ आच्छादित न हो सके।

(4) अनुज्ञाधारी द्वारा गन्दे पानी के निकास के लिए लगाये निर्देशानुसार जलोत्सारण व्यवस्था हो तो वह अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निदिष्ट स्थान पर निर्मित की जावेगी तथा जलोत्सारण व्यवस्था को उससे सम्बद्ध किया जावेगा।

(5) यदि शौचालय पलश प्रणाली के न होकर सूखे हो तो ये रसोई घर, आवास कक्षों, भंडारगृह आदि के इस प्रकार समीप नहीं होंगे कि सहज रूप से उसकी बदबू आ सके।

(6) उपयोग मे लिये जाने वाले जल को सदैव स्वच्छ पात्रों में रखा जावेगा तथा ऐसे पात्र प्रत्येक दिवस प्रातः व सांय स्वच्छ किये जावेंगें। ऐसे पात्रों को किसी ऊंचे स्थान पर इस प्रकार रखा जायेगा ताकि उनमें बाहरी कीटाणु या दूषित पदार्थ प्रवेश नहीं कर सके तथा उन्हे सदैव ढक्कनों से आच्छादित कर रखा जावेगा व भोजन परोसने एवं खाद्य पदार्थ तैयार करने के सम्पूर्ण पात्र पीतल, कांसी स्टेनलेस स्टील या कांच के होंगें तथा पीतल के पात्रों पर यथा समय आवश्यकता होने पर कलई कराई जावेगी। अल्म्यूनियम धातु के कोई पात्र जब कि अध्यक्ष द्वारा विशेष अनुमति नहीं दे दी गई हो काम में नहीं लियें जावेंगें।

(7) यदि जल को किसी टंकी में एकत्रित किये जाने की व्यवस्था हो तो ऐसी टंकी केवल धातु की बनी होगी तथा उसे प्रत्येक प्रकार स्वच्छ रखा जायेगा। ऐसी टंकी भूतल से कम से कम 125 सेन्टीमीटर की ऊंचाई तक होगी। इस टंकी

को सदैव ढक्कन से आच्छादित कर रखा जायेगा यदि जल की व्यवस्था सीधे किसी कुऐ से है तो तदर्थ स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जावेगा।

(8) अनुज्ञापत्रित स्थान की सम्पूर्ण दीवारें भूतल से 125 सेन्टीमीटर की ऊंचाई तक सीमेंट प्लास्टर या इस प्रकार पक्की बनी होगी ताकि उनमें किसी प्रकार की नमी उत्पन्न होने की संभावना न हो। शेष दिवारों पर भली प्रकार प्लास्टर व सफेदी करवाई जावेगी। सफेदी वर्ष में कम से कम दो बार तथा आवश्यकता होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समय समय पर करवाई जावेगी बेकरी, मिठाई की दुकान, बर्फ या गैस युक्त जल उत्पादन या अन्य पक्का प्लास्टर भूतल से 250 सेन्टीमीटर की ऊंचाई तक होगा। अनुज्ञापत्रित स्थान की छतें सादा रखी जायेंगी ताकि उन पर किसी प्रकार के धूल के कण एकत्रित या जाले उत्पन्न नहीं हो सकें। फर्श सम्पूर्ण सीमेंट चिप्स या टाइल्स अथवा पक्की बनी होगी। तथा नीचे जल निस्तारण व्यवस्था का उचित प्रावधान किया जावेगा।

(9) अनुज्ञा प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञापत्रित स्थान पर किसी भी समय कोई पशु नहीं रखें जावेगें।

(10) (अ) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्रित स्थान को सदैव स्वच्छ रखेगा।

(ब) अनुज्ञापत्रित रखें गये ड्रमों या अन्य धातु के पात्रों में एकत्रित किया जावेगा तथा प्रत्येक दिवस एकत्रित किया जावेगा तथा प्रत्येक दिवस एकत्रित कूड़े करकट को निर्धारित स्थान पर निष्पादित किया जावेगा व प्रति दिवस उन्हें आवश्यकतानुसार स्वच्छ किया जावेगा।

(स) अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्रित स्थान को प्रत्येक दिवस तथा आवश्यकतानुसार समय समय पर पूर्णरूपेण धोयेगा एवं शौचालयों व मंत्रालयों को कीटाणु नाशक दवाईंयों से कीट रहित रखेगा।

(द) अनुज्ञापत्रित स्थान से एकत्रित होने वाले सम्पूर्ण गंदे पानी को तुरन्त बहाया जावेगा अथवा ऐसी अवस्था रखी जावेगी कि ऐसा गंदा पानी तुरन्त स्वतः बह सके।

(ड) व्यापार के लिये प्रयोगार्थ समस्त फर्नीचर, क्राकरी, तस्तरियां, पात्र, बरतन व उनसे संबंधित अन्य अनुसांगिक वस्तुएं सदैव स्वच्छ जल से पूर्णरूपेण धोये जावेंगे तथा उन्हें दुबारा परोसने के प्रयोग में लेने से पूर्ण उबलते हुए गर्म पानी या भाप में पांच मिनट तक उबल कर कीटाणु रहित किया जावेगा।

(11) प्रत्येक टेबिल, बैंच या तख्ता जिस पर भोजन, चाय या अन्य अल्पाहार परोसे जावे का ऊपरी तल मकराना या पालिशदार पत्थर, सनमाइका, अल्यूमीनियम या पीतल की चद्दर या ऐसे अन्य पदार्थ का बना होगा जो अशोषक हो तथा प्रत्येक परोसगारी के बाद ऊपरी तल को स्वच्छ कपड़े से तथा आवश्यकता हो तो जल से पूर्णतया स्वच्छ किया जावेगा।

(12) सम्पूर्ण खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, मसाले, साग सब्जी ताजा एवं आरोग्यप्रद होंगे तथा निर्मित या उप्पादित भोज्य या खाद्य सामग्री जो तत्काल प्रयोग के लिये नहीं है। बन्द डिब्बों जो गेल्वेनाइज्ड लोहे के बने होंगे या अन्य धातुओ के पात्र में रखे जावेंगें ताकि बाहरी रासायनिक प्रभाव से उनकी रक्षा हो सके तथा उन्हे किसी भी रूप मे फर्श पर खुला नही छोड़ा जावेगा।

(13) अनुज्ञाधारी परोसगारी के लिये केवल ऐसे सेवकों को ही अनुमत करेगा जो उचित ड्रेस में हों।

(14) ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जो अधिशासी अधिकारी अनुज्ञा प्राधिकारी या नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य अधिकारी के अन्य किसी प्रकार से मानव उपयोग के लिये अनुचित हो, वाणिज्यिक भवन में न तो भंडारित किया जावेगा न परोसा जायेगा और न ही विक्रय किया जावेगा तथा विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जावेगा।

(15) (क) सूखे मेवे, फलों के कटे हुए टुकड़ों (स्लाइस), पका हुआ भोजन या अन्य सम्पूर्ण प्रकार की भोज्य, खाद्य एवं पेय वस्तुऐं जो वाणिज्यिक भवन में मानव उपयोग के लिये तैयार रखी गई हों उन्हें इस प्रकार भंडारित किया जावेगा या विक्रय के लिये प्रदर्शित किया जावेगा ताकि उनकी धूल मक्खियों या कीटाणुओं से पूर्णरूपेण रक्षा हो सके।

(ख) ऐसी वस्तुऐं जब विक्रय के लिए प्रदर्शित की जावे तो उन्हें बरतनों या तस्तरियों से जो कांच चीनी मिट्टी की या इनैमिल्ड धातु या चद्दर की बनी होगी, कांच की अलमारियों या आवश्यकता हो तो जालियों में इस प्रकार रखी जावेंगी कि उसमें वायु संचारित न हो सके।

(ग) किसी भी ऐसी वस्तु को हाथ से नहीं छुआ जावेगा तथा उन्हें परोसने के लिये सदैव स्वच्छ चमचें कांटे या अन्य अनुसांगिक वस्तुएं प्रयुक्त की जावेंगी।

(16) सम्पर्ण प्रकार की रद्दी कागज या पत्ते जो खाद्य पदार्थो को लपेटने के लिये प्रयुक्त किये जायें साफ होंगे एवं स्वच्छ रेकों या सन्दूकों में भंडारित किये जावेंगें।

(17) अनुज्ञाधारी व्यापार के प्रयोजनार्थ चाहे वह विक्रय से संबंधित हो या उत्पादन से ऐसे किसी व्यक्ति को नियोजित नही करेगा जो किसी घृणास्पद, छूत या किसी अन्य सांस्परिक रोग से पीड़ित अथवा वह ऐसे रोगों से पीड़ित किसी व्यक्ति के सम्पर्क में तुरन्त रहा हो या स्नान किया हुआ नहीं हो या अन्यथा अस्वच्छ हो।

(18) (अ) अनुज्ञाधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियोजित नहीं करेगा जब तक कि वह तदन्तर्गत अपने प्रथम नियोजन के समय मण्डल द्वारा स्वास्थ्य या चिकित्सा प्राधिकार से इस बात का प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत करदे कि वह किसी सांस्परिक छूत या घृणित रोग से पीड़ित नहीं है मोतीझरा (टाइफाइड) काला ज्वर हैजा या आंव जैसे गम्भीर रोगों का रोगवाहक नहीं है। कभी भी गम्भीर रोग से ग्रसित होनें के बाद वह पुनः कर्तव्यरूप होने से पूर्व इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि यह किसी छूत, सांस्पसिक या घृणित रोग का रोगी नहीं है।

(ब) प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जब कभी भी मण्डल द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवायेगा।

(स) उपखण्ड (अ) या (ब) में प्रावधित अपेक्षाओं के अनुपालन में ऐसे कर्मचारी द्वारा असफल होने पर और अनुज्ञापत्रित स्थान पर किये जाने वाले वाणिज्यिक के संबंध में न तो नियोजित किया जावेगा और न ही नियोजन में रखा जावेगा।

(19) अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में होने वाले किसी ऐसे रोग जो भयानक छूत या सांस्वर्ग हो कि सूचना तत्काल मण्डल द्वारा प्राधिकृत स्वास्थ्य या चिकित्सा प्राधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी या अनुज्ञा प्राधिकारी को देगा।

विशेष शर्ते

(12) <u>बेकरी या मिठाई की दुकान के लिये विशेष शर्तेः–</u> अनुज्ञाधारी ऐसे स्थान, जो बेकरी या मिठाई की दुकान करें में अनुज्ञापत्रित करवाये जायं उपविधि 12 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशेष शर्तो का और पालन करेगाः–

(क) वाणिज्यिक भवन में गून्दने भंडारित करने तथा विक्रय के लिये पृथक–पृथक व्यवस्था की जावेगी।

(ख) गून्दने कक्ष की भित्तियां भूतल से 250 सेन्टीमीटर की ऊंचाई तक सीमेंट प्लास्टर, चिप्स या टाइल्स की पक्की बनी होगी। गून्दन–कक्ष की छत सादा होगी ताकि उस पर जाले आदि व धूल कण न चिपक सकें।

(ग) बेकरी में प्रयुक्त होने वाली गून्दन मेज का तल साफ तथा दरार रहित होगा व इस प्रकार बना होगा कि उसमें जल नहीं सोखा जा सकें। जब मेज प्रयोग में नहीं लाई जाय तो उसे सदैव साफ कपड़े से आच्छादित रखी जावेगी।

(घ) प्रत्येक व्यक्ति को गून्दन क्रिया के लिये नियोजित हो सूती या लिलिन से बनी हुई स्वच्छ सफेद कपड़े की पोशाक इस प्रकार पहनेगा ताकि उसके शरीर का अग्रिम भाग गर्दन से घुटनों तक आच्छादित हो जाय।

(ङ) कोई भी व्यक्ति गून्दन मेज पर धूल नहीं डालेगा।

(च) अनुज्ञाधारी या स्वामी रोटी या मिठाई की विक्रयार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल बन्द गाड़ी या बन्द टोकरी टिन या अन्य ऐसे ही पात्र में परिवाहित करेगा ऐसी प्रत्येक गाड़ी, टोकरी, टिन या पात्र प्रत्येक समय पूर्णतया स्वच्छ रखा जायेगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे रोटी या मिठाई जो परिवहित की जा रही हो गंदी या दूषित अथवा अस्वास्थ्यकर हो जाय।

(13) <u>होटल व रेस्टोरेन्ट के लिये विशिष्ट शर्तेः–</u> होटल व रेस्टोरेन्टों के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान के लिये उपविधि 12 में प्रावहित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगाः–

(1) किसी भी व्यक्ति को भोजन कक्ष के अतिरिक्त अन्यत्र भोजन किये जाने की अनुमति होटल में ठहरने वाले यात्री की अपने कक्ष में भोजन करने के लिये दी जा सकेगी।

(2) होटल में उचित संख्या में शौचालय होंगें। प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय को पूर्णतया स्वच्छ रखा जायेगा तथा प्रतिदिन कीटाणुनाशक दवाईयों तथा कीटाणु रहित किया जावेगा तथा सूखे शौचालयों की अवस्था में मल को राख या मिट्टी से आच्छादित रखा जावेगा तथा प्रत्येक दिन उसे हटाकर साफ किया जावेगा। यदि फ्लश प्रणाली की व्यवस्था हो तो वहां नियमित फ्लश शौचालय ही निर्मित किये जावेंगें।

(3) जब कभी होटल या रेस्टोरेन्ट पर संवाद प्रसारण या ग्रामोफोन जिससे कोई ध्वनि विस्तारक संबंध किया हुआ हो या न हो की व्यवस्था की जाये तो इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जावेगा कि समीप के भवनों के स्वामियों या अधिवासियों को किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट का अवसर प्राप्त न हो तथा पड़ोस में किसी प्रकार की कोई अनुचित ध्वनियां शोर न हों।

(4) भोजन या रसोईघर की फर्श पत्थर, सीमेंट, चिप्स या अन्य ऐसे पदार्थो से बनी होगी जो अभेद्य हो तथा इस प्रकार ढालू होगी की उसमें सम्पूर्ण तरल पदार्थ सरलता पूर्वक नाली में बह सकें।

(5) भोजन व रसोईघर में संवातन की पर्याप्त व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि वह अनुज्ञा प्राधिकारी की संतुष्टी के अनुसार हो। इस प्रकार का कोई लैम्प या अन्य प्रकाश प्रयोग में नही लिया जायेगा जिसकी बनावट इस प्रकार की हो कि उससे धुंआ या काजल उत्पन्न हो।

(6) भोजन कक्ष व रसोईघर के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य मार्ग इस प्रकार से निर्मित किये जायेंगें ताकि मक्खियों व धूल से रक्षा हो सके तथा अनुज्ञा प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार जाली अच्छे थिकों से सुरक्षा की जावेगी।

(7) सम्पूर्ण पका हुआ भोजन इस प्रकार रखा जावेगा ताकि वह किसी भी प्रकार हानिकारक दुर्गन्धमय विषैला या दूषित न हो जाये।

(8) होटलो की व्यवस्था में एक पंजिका रखी जावेगी जिसमें होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों के नाम व पते जाने व आने की तिथि व समय व मण्डल द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अन्य सूचना प्रविष्ट शर्तो का पालन करना होगा–

(1) जहां नल व्यवस्था हो वहां जहां तक संभव हो यंत्रालय भवन में सार्वजनिक जल प्रदाय से ही जल संबंध तय किया जावेगा।

(2) अनुज्ञापत्रित स्थान में निम्नलिखित के लिये पृथक व पर्याप्त व्यवस्था की जावेगीः–

(अ) बोतलें साफ किये जाने हेतु,

(ब) जल भंडारित किये जाने व साफ किये जाने हेतु,

(स) बोतलें भरे जाने हेतु व

(द) भरी हुई बोतलों को भंडारित करने हेतु।

(3) उत्पादन के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को भली प्रकार शोधित किया जावेगा तथा शोधित करने वाले पात्रों एवं सामग्री को ऐसे समय में तथा प्रणाली से जैसा अनुज्ञा प्राधिकारी निर्देश दे, कीटाणु विहित किया जावेगा।

(4) सम्पूर्ण प्रकार के शरबत कलईदार तस्तरियों या पात्रों या स्टेनलेस स्टील या चीनी मिट्टीया चीनी मिट्टी के पात्रों में तैयार किये जावेगें एवं उन्हें ऐसे स्थानों या अलमारियों में रखा जावेगा जहां मक्खी, मच्छर आदि प्रविष्ट न हों सके।

(5) अनुज्ञापत्रित स्थान से किसी प्रकार का गैसीय जल या शरबत आदि विक्रयार्थ तब तक निर्गमित किये जावेंगें तब तक कि उन पर उत्पादन कर्त्ता के पूर्ण नाम व पते का लेबिल नहीं लगा दिया जाय।

(6) गैसीय जल या जल से उत्पादित किये जाने वाले अन्य पेय पदार्थो से यदि जन स्वास्थ्य को हानि की आशंका हो या किसी प्रकार की महामारी फैलने का भय हो तो अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, अनुज्ञा प्राधिकारी मण्डल द्वारा प्रधिकृत स्वास्थ्य या चिकित्सा प्राधिकारी या परिषद् द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसे पदार्थ का उत्पादन सर्वथा के लिये या ऐसी अवधि के लिये जो आवश्यक समझी जावे बन्द कराये।

(14) <u>बर्फ उत्पादन के स्थानों के हेतु विशिष्ट शर्तेः–</u> बर्फ उत्पादन के स्थानों के लिये उपविधि 12 में प्रावधित सामान्य शर्तो के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी निम्न लिखित विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगाः–

(1) जहां नल प्रणाली की व्यवस्था हो वहां यंत्रालय के भवन में जल संबंध में केवल सार्वजनिक जल प्रदाय से ही किया जावेगा तथा अनुज्ञा अधिकारी की विशिष्ट अनुमति के अतिरिक्त अन्य कोई जल प्रयुक्त नहीं किया जावेगा। जहां नल की व्यवस्था न हो वहां जल लाने व उसे भंडारित के लिये ऐसे पात्रों को प्रयुक्त किया जावेगा जैसा कि अनुज्ञा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।

(2) बर्फ के उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला जल पूर्णरूपेण शोधित व शुद्ध होगा तथा उसे मशकों या ऐसे अन्य पात्रों जिन्हें अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया हो, नहीं ले जाया जावेगा।

(15) <u>पान की दुकानों हेतु विशिष्ट शर्ते</u> :– अनुज्ञाधारी उपविधि 12 में प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगा।

(अ) अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञापत्रित स्थान में प्रयुक्त किये जाने वाले सम्पूर्ण पात्रों को प्रत्येक दिवस पूर्ण रूपेण स्वच्छ किया जावेगा।

(ब) पान लगाकर रखे जाने वाले तख्ते बोर्ड या पाट पर पीतल की चद्दर लगाई जावेगी अथवा उसे सदैव स्वच्छ रखा जावेगा।

(स) प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चूना, मसाले, सुपारी आदि बढ़िया किस्म के प्रयोग में लिये जावेंगें तथा उन्हें भली प्रकार शोधित करके प्रयोग में लिया जावेगा।

(द) प्रयुक्त किया जाने वाला कत्था, चूना प्रत्येक दिवस ताजा प्रयोग में लिया जावेगा व स्वच्छ पात्रों में रखा जावेगा।

(16) <u>खोमचे वालो के लिये विशिष्ट शर्ते</u> :– अनुज्ञाधारी उपविधि 12 में प्रावधित अन्य सामान्य शर्तो के अतिरिक्त निम्न विशिष्ट शर्तो का और पालन करेगाः–

(1) सम्पूर्ण प्रकार की मिठाई, नमकीन, चाट आदि निर्मित किये जाने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले पात्रों को प्रतिदिन भली प्रकार स्वच्छ किया जाकर प्रयुक्त किया जावेगा।

(2) मिठाई नमकीन आदि को जालीदार कपड़े या जाली से इस प्रकार आच्छादित रखेगा ताकि उसमें मक्खी, मच्छर, मिट्टी आदि प्रवेश न पा सके।

(3) चाट आदि के लिये काम में लिये जाने वाले पत्तों दोनो या तस्तरियों आदि को पूर्णरूपेण स्वच्छ करके प्रयुक्त किया जावेगा।

(4) जूठे पत्ते, दोनो आदि को डाले जाने हेतु एक पृथक पात्र की व्यवस्था की जावेगी ताकि सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार की गंदगी न फैलने पावे।

(5) अनुज्ञाधारी वे सब सावधानियां बरतेगा जिससे किसी प्रकार की अशुद्धता न हो तथा भोज्य पदार्थ विषैले दूषित या अस्वास्थ्यकर न हो।

(17) <u>निरीक्षण</u> :– (1) अनुज्ञाधारी वाणिज्यिक भवन में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा जो अध्यक्ष मण्डल के किसी सदस्य, अधिशासी अधिकारी, परिषद् द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निरीक्षणार्थ सदैव खुली रहेगी।

(2) चिकित्सा प्राधिकारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी अनुज्ञापत्रित स्थान के वाणिज्यिक भवन में कार्यकाल के समय में प्रवेश कर सकेंगें तथा भवन खाद्य सामग्री खाद्य एवं पेय वस्तुओं सम्पूर्ण बर्तन व पात्र, क्रोकरी, फर्नीचर आदि का निरीक्षण कर सकेंगें तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट अनुज्ञा प्राधिकारी को देंगे जो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट को एतदर्य रखी गई निरीक्षण पुस्तिका में भी अंकित किया जावेगा। अनुज्ञाधारी निरीक्षण के समय उक्त प्राधिकारियों को निरीक्षण हेतु प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(3) चिकित्सा या स्वास्थ्य अधिकारी या परिषद द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी ऐसे स्थान से ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ जो उनकी सम्मति में बासी अस्वास्थ्य कर अपराधजन्य आरोग्यहीन या मानव उपयोग के लिये अनुचित हो को स्वयं हटाने या उन्हें हटवाने के अतिरिक्त अनुज्ञाधारी के विरूद्ध उपविधियों के उल्लंघन के लिये अभियोजन प्रस्तुत किये जाने की अभिशंसा किये जाने हेतु सक्षम होंगें।

(4) जब कभी अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, अनुज्ञा प्राधिकारी अथवा मण्डल द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा या स्वास्थ्य प्राधिकारी व्यक्तिगत निरीक्षण के पश्चात् आश्वस्त हो या अनुज्ञा प्राधिकारी के पास निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह संतुष्ट हो कि अनुज्ञाधारी इन उपविधियों का उल्लंघन कर रहा है अथवा उनका भली प्रकार अनुपालन नहीं

कर रहा है तो अनुज्ञाधारी को अभियोजित किये जाने की अपेक्षा उक्त प्राधिकारी ऐसे निर्देश दे सकेंगें जो उपविधियों के अनुपालन हेतु आवश्यक हो तथा अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन किया जावेगा।

(18) अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा निर्देश आदि :– (1) इन उपविधियों में कोई बात न होते हुए भी अनुज्ञा प्राधिकारी उपविधियों को भली प्रकार कार्यान्वित के लिये यथोचित आदेश व निर्देश प्रसारित करने हेतु सक्षम होगा तथा स्वामी या अनुज्ञाधारी द्वारा उनका तत्काल पालन किया जावेगा।

(2) विशेष असाधारण परिस्थितियों में जिनकी लिखित में अभिलेखित किया जा सकेगा तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये उपयुक्त कारण होने पर अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा इन उपविधियों में निर्धारित शर्तो में कमी वृद्धि की जा सकेगी।

(3) इन उपविधियों की कार्यान्विति का उत्तरदायित्व अनुज्ञा प्राधिकारी का होगा।

(19) अपील :– इन उपविधियों के अन्तर्गत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश या निर्देश से प्रताड़ित या व्यथित होने पर ऐसे आदेश या निर्देश के विरूद्ध उसकी प्राप्ति से 30 दिवस के अन्तर्गत परिषद् में अपील की जा सकेगी। आदेश या निर्देश की प्रतिलिपि प्राप्त करने का समय उक्त समयावधि में से बाद किया जावेगा।

(20) शास्ति :– (1) इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि के उल्लंघन किये जाने पर अध्यक्ष की अनुमति से अनुज्ञा प्राधिकारी द्वारा दोषी व्यक्ति को सक्षम दण्डपाल के समक्ष अभियोजन प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा दोष सिद्ध होने पर दण्डपाल द्वारा उसे 500) रू. तक के अर्थदण्ड से तथा दोष क्रमिक रहने पर प्रतिदिन रूपया 5) के अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) उपविधियों के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त दावों की वसूली स्वामी से अधिनियम के अध्याय 8 में प्रावधित रीति से की जावेगी।

(21) समझौता :– इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरपालिका अपराध समझौता निमय, 1966 के प्रावधानों के अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा अपराध का अभिसंधान या समझौता किया जा सकेगा।

प्रपत्र – 1

{ देखिये उपविधि 4 (1) }

होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई व पान आदि की दुकान के लगाने के लिये अनुज्ञा–पत्र या प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

श्रीमान् अनुज्ञा प्राधिकारी महोदय,
नगरपालिका, अजमेर।

महोदय,

मे/हम नगरपालिका की सीमा में एक होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान खोलना चाहता हूँ/ चाहते है जो चालू है के लिये अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते है। इस संबंध में आवश्यक विवरण इस प्रकार है :

(1) अनुज्ञार्थी का नाम व पूरा पता .....

(1) मौहल्ला / वार्ड .....

(2) रास्ता या बाजार .....

(3) सीमायें .....

(2) पिता का नाम .....

(3) निवासी .....

(4) आयु .....

(5) स्थान का विवरण .....

(5) अन्य आवश्यक विवरण .....

स्थान का मानचित्र दो प्रतियों में सलंग्न है। स्थान पर अपेक्षित

	राजस्थान राज – पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	त्महकण छवण त्श्रण 33ध्97 **त।श्रौज्ञ।छ ळ।म्ज्ञ** *माजतंवतकपदंतल* *च्नइसपींमक इल ।नजीवतपजल*
	ज्येष्ट 1, शुक्रवार शाके 1920–मई 22, 1998 श्रंलपेजीं 1ए थ्तपकंलए ैं 1920.डंल 22ए 1998	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियॉ आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 20, 1998

संख्या प. 8 (च)/नियम/डी.एल.बी./98/2680:– राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 88 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा सलंग्न नगर परिषद, अजमेर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई पान आदि दुकानों के नियन्त्रण व नियमन विषयक) उपविधि 1977 जो कि नगर परिषद, अजमेर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 88 के खण्ड बी के उप–खण्ड (प्प्) व (घ) के अन्तर्गत बनाये/संशोधित किये है, कि स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनिमय संख्या 38 सन् 1959) की उप–धारा (घ) के खण्ड बी के उप–खण्ड (प्प्) व (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, अजमेर सिटी एतद्द्वारा निम्नलिखित बनाती/संशोधित करती है, नामत :–

परिषद अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानों के नियंत्रण व नियमन विषयक (प्रथम संशोधन) नियम, 1998।

1. संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रभावः–

(1) ये उप–विधियां नगरपालिका, अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानों के नियंत्रण व नियमन विषयक) संशोधन उप–विधियां, 1998 कहलायेंगी।

(2) ये उप–विधियां नगर परिषद द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् राज–पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावित होगी।

उक्त उप–विधियों का नियम संख्या 10 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित की जाती है। नियम संख्या "10" अनुज्ञा–पत्र का शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :–

क्र. सं.	नाम	प्रस्तावित दरें (प्रतिवर्ष)
1	2	3
1.	**होटल**	
	I. (अ) जहां यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक की व्यवस्था नहीं हों	रूपये 500/–
	(ब) जहां यात्रियों के लिये 10 से अधिक कमरो की व्यवस्था हो	रूपये 1000/–
	(स) एक स्टार होटल	रूपये 1500/–
	(द) दो स्टार होटल	रूपये 2000/–
	(य) तीन स्टार होटल	रूपये 2500/–
	(र) चार स्टार होटल	रूपये 3000/–
	(ल) पांच स्टार होटल	रूपये 5000/–
	II. राजस्थान हेरिटज होटल	रूपये 2000/– लाईसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रूपये 1000/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
	III. धार्मिक व सामाजिक संस्थायें अपना भवन विवाह हेतु देती है। प्रति वर्ष	रूपये 500/– लाईसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रूपये 500/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
	IV. विवाह समारोह स्थल	रूपये 2000/– लाईसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रूपये 1000/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
2.	(अ) रेस्टोरेन्ट	रूपयें 150/– साधारण रूपये 500/– एयर कन्डीशन
	(ब) केवल चाय की दुकान	रूपये 50/–
	(स) बर्फ, सोड़ा, लेमन, शरबत आदि उत्पादन/बिक्री	(1) रूपये 100/– सोड़ा, लेमन, शरबत, फेरी में निर्माण / विक्रय (2) रूपये 500/– सोड़ा, लेमन, बर्फ फैक्ट्री एवं शरबत उत्पादन / विक्रय
	(द) बेकरी	रूपये 250/– भट्टी से उत्पादन रूपये 1000/– पावर से उत्पादन
	(य) मिठाई की दुकान	रूपये 100/– वनस्पति घी से निर्मित रूपये 500/– देसी घी से निर्मित
	(र) पान की दुकान	रूपये 50/–
	(ल) खोमचे/हाथ की फेरी वाले	रूपये 50/–

कमरो का लिया जाने वाला किराया राशि की सूची नगर परिषद अजमेर से अनुमोदति करवानी होगी एवं होटल/गेस्ट हाऊस में काउन्टर पर लगानी होगी।

निम्न 13 के उप–नियम 8 में सबलॉज 6 के बाद सबलॉज नं. 7 में निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:–

" 7 " होटल एवं धर्मशाला में ठहरने वाले विदेशी एवं देशी पर्यटकों के आगमन की सूचना सीधें ही पर्यटन विभाग, अजमेर को भिजवायेंगें व जो होटलों एवं धर्मशाला पर्यटकों के आगमन संबंधी की सूचना नहीं भिजवाई है तो उनके विरूद्ध लाईसेन्स रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.
सी. आर. चौधरी,
उप शासन सचिव।

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक : प8/च नियम/डीएलबी/98 जयपुर, दिनांक :

<u>अधिसूचना</u>

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन 1959) की धारा 88 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगर परिषद अजमेर (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी मिठाई, पान आदि दुकानों के नियन्त्रण व नियमन विषयक) उपविधि 1977 जो कि नगर परिषद, अजमेर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 86 के खण्ड बी के उपखण्ड (प्प्) व (ए) के अन्तर्गत बनाये/संशोधित किये है कि स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राजस्थान नगर परिषद अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की उपधारा (ए) के खण्ड बी के उपखण्ड (प्प्) व (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, अजमेर सिटी एतद्द्वारा निम्नलिखित बनानी/संशोधित करती हैः—

परिषद अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के नियन्त्रण व नियमन विषयक) प्रथम संशोधन नियम 1998

1. संक्षिप्त नाम, सीमा तथा प्रभाव :— (1) ये उपविधिया नगर पालिका, अजमेर सिटी (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानो के नियन्त्रण व नियमन विषयक) संशोधन उप विधियां, 1998 कहलायेंगी।

2. ये उप विधियां नगर परिषद, द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात राज—पत्र में प्रकाशित होने की तिथी से प्रभावशील होगी।

उक्त उपविधियों की नियम संख्या 19 निम्न प्रकार प्रतिपादित की जाती है। नियम संख्या "10" अनुज्ञापत्र का शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

क्र. सं.	नाम	प्रस्तावित दरें (प्रतिवर्ष)
1.	**होटल** 1. (अ) जहां यात्रियों के लिये 10 कमरों से अधिक की व्यवस्था नहीं हों	रूपये 500/–
	(ब) जहां यात्रियों के लिये 10 से अधिक कमरो की व्यवस्था हो	रूपये 1000/–
	(स) एक स्टार होटल (द) दो स्टार होटल (य) तीन स्टार होटल (र) चार स्टार होटल (ल) पांच स्टार होटल	रूपये 1500/– रूपये 2000/– रूपये 2500/– रूपये 3000/– रूपये 5000/–
	2 राजस्थान हेरिटेज होटल	रूपये 2000/– लाईसेन्स शुल्क रूपये 1000/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
	3 धार्मिक व सामाजिक संस्थायें अपना भवन विवाह हेतु देती है। प्रति वर्ष	रूपये 500/– लाईसेन्स शुल्क रूपये 500/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
	4 विवाह समारोह स्थल	रूपये 2000/– लाईसेन्स शुल्क प्रति वर्ष रूपये 1000/– प्रति विवाह, अग्रिम देना होगा
2.	(अ) रेस्टोरेन्ट	रूपयें 150/– साधारण रूपये 500/– एयर कन्डीशन
	(ब) केवल चाय की दुकान	रूपये 50/–
	(स) बर्फ, सोड़ा, लेमन, शरबत आदि उत्पादन/बिक्री	(1) रूपये 100/– सोड़ा, लेमन, शरबत, फेरी में निर्माण / विक्रय (2) रूपये 500/– सोड़ा, लेमन, बर्फ फैक्ट्री एवं शरबत उत्पादन / विक्रय
	(द) बेकरी	रूपये 250/– भट्टी से उत्पादन रूपये 1000/– पावर से उत्पादन
	(य) मिठाई की दुकान	रूपये 100/– वनस्पति घी से निर्मित रूपये 500/– देशी घी से निर्मित
	(र) पान की दुकान	रूपये 50/–
	(ल) खोमचे/हाथ की फेरी वाले	रूपये 50/–

कमरो का लिया जाने वाला किराया राशि की सूची नगर परिषद अजमेर से अनुमोदित करवानी होगी एवं होटल/गेस्ट हाऊस में काउन्टर पर लगानी होगी।

निम्न 13 के उप–नियम 8 में सबक्लोज 6 के बाद सबक्लोज नं. 7 में निम्न प्रकार जोड़ा जाता है:–

" 7 " होटल एवं धर्मशाला में ठहरने वाले विदेशी एवं देशी पर्यटकों के आगमन की सूचना सीधें ही पर्यटन विभाग, अजमेर को भिजवायेंगें व जो होटलों एवं धर्मशाला पर्यटकों के आगमन संबंधी की सूचना नहीं भिजवाई है तो उनके विरूद्ध लाईसेन्स रद्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से.
सी. आर. चौधरी,
उप शासन सचिव।

क्रमांक प8 (च) नियम/डीएलबी/98/2682 दिनांक 20/05/98

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रणालय, राजकीय केन्द्रिय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र कि भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रयोजनार्थ
2. आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर।
3. सुरक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव